बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / SBPDCL–82 / 2024–   / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 16 अद्द नये 33 के0भी0 लाईन के निर्माण हेतु 52.98 करोड़ (बावन करोड़ अंठानवे लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में 25.20 करोड़ (पच्चीस करोड़ बीस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–3952 दिनांक–13.08.2025 के आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड क्षेत्राधीन 16 अद्द नये 33 के0भी0 लाईन के निर्माण हेतु 52.98 करोड़ (बावन करोड़ अंठानवे लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में 25.20 करोड़ (पच्चीस करोड़ बीस लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
5,55,00,00,000.00	3,99,41,60,000.00	25,20,00,000.00	4,24,61,60,000.00	1,30,38,40,000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

7. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA017 से की जाएगी।

8. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/SBPDCL–82/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/SBPDCL–82/2024– 107 /पटना, दिनांक– 18.08.2025

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.08.25

सरकार के संयुक्त सचिव।